सं. 1(5)/2016-ई.II(ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

15 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संस्थापना व्यय समिति (सीईई)।

केन्द्रीय बजट 2016-17 में, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में योजना/गैर-योजना का भेद समाप्त करने की घोषणा के परिणामस्वरूप, इस विभाग ने लोक वित्त पोषित योजनाओं और परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, गैर-योजना स्कीमों और परियोजनाओं पर व्यय के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की वित्तीय शक्तियों के संबंध में इस विभाग के 27 मई, 2016 के का.ज्ञा. सं.1(5)/2016-ई.II(ए) का अधिक्रमण करते हुए गैर-योजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन व्यवस्था संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961 के अनुसार, संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर के पदों के सृजन के साथ-साथ नई कंपनी, स्वायत्त निकाय, संस्था/विश्वविद्यालय अथवा विशेष प्रयोजन तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले निकायों की संख्या में अधिक वृद्धि न हो और सरकार के संस्थापना दायित्व चाहे वे प्रत्यक्ष हों अथवा आकस्मिक, अन्य वांछित व्यय की लागत पर न बढ़ें। ऐसे प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए संस्थापना व्यय समिति इस प्रकार गठित की जाती हैः-

संस्थापना व्यय समिति	
व्यय सचिव	अध्यक्ष
प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव	सदस्य
संयुक्त सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
सलाहकार, पीएएमडी, नीति आयोग	सदस्य
बजट प्रभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार	सदस्य-सचिव
अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधि आवश्यकतानुसार आमंत्रित किए जा सकते हैं।	

3. संस्थापना व्यय समिति सभी नए निकायों की स्थापना के लिए एक मूल्यांकन मंच के रूप में कार्य करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों की जांच भी करेगीः-

(i) नए निकाय की स्थापना की आवश्यकता और क्या उल्लिखित नीतिगत उद्देश्य किसी विद्यमान निकाय का पुनर्गठन करके अथवा किसी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके हासिल किए जा सकते हैं।

(ii) नए निकाय में सृजित किए जाने के लिए जरूरी पदों की संख्या और किन स्तरों पर सृजित किए जाने हैं?

(iii) संस्थापना, अन्य चालू और परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय, यदि कोई हो, सहित दस वर्ष के लिए आवर्ती व्यय कितना होगा?

(iv) आवर्ती व्यय किस सीमा तक आंतरिक संसाधनों से वहन किया सकता है जिससे सरकार पर बजट भार कम से कम हो?

4. किसी नए निकाय की स्थापना अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। बहुत से मामलों में, किसी नए निकाय की स्थापना प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है, फिर भी एकबारगी परियोजना कार्य शुरू करना आवश्यक है। कभी-कभी किसी नए निकाय की स्थापना किसी बड़ी परियोजना के निष्पादन या किसी बड़ी स्कीम अथवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक हो सकती है। ऐसे मामलों में, प्रत्यायोजन के स्तर के आधार पर, एक संयुक्त ईएफसी/सीईई या एक संयुक्त पीआईबी/सीईई का आयोजन किया जा सकता है। तथापि, मूल्यांकन के बाद, यद्यपि नए निकाय की स्थापना अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाएगी, स्कीम या परियोजना पर इस विभाग के 5 अगस्त, 2016 के का.ज्ञा. सं.24(35)/पीएफ-II/2012 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

5. इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों में नए पदों के सृजन पर फाइल पर कार्रवाई किया जाना जारी रहेगा और उसे सीईई के समक्ष नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार, मौजूदा निकायों में नए पदों के सृजन पर भी फाइल पर कार्रवाई की जा सकती है और मौजूदा निकाय में नए परियोजना कार्य शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित किए जा सकते हैं। तथापि, किसी नए निकाय या संस्था की स्थापना से संबंधित कोई निवेश-पूर्व कार्य व्यय विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन के बैगर अनुमोदित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस आशय की कोई विशिष्ट बजट घोषणा न हो।

6. मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति के समक्ष रखे जाने के लिए आवश्यक सभी मामले व्यय विभाग के कार्मिक प्रभाग को अग्रेषित किए जाएं।

7. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का एकीकृत वित्त संस्थापना व्यय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

8. इसे वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी सचिव
मंत्रालयों/विभागों के सभी वित्त सलाहकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय
प्रधानमंत्री कार्यालय
नीति आयोग
रेलवे बोर्ड
आंतरिक परिचालन